महत्वपूर्ण एवं खास

4 हजार किलो महुआ लाहन एवं 255 लीटर अवैध मदिरा जब्त

रायगढ़ एवं झारसुगुड़ा के आबकारी अमलों की संयुक्त कार्यवाही

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के मद्देनजर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने रायगढ़ जिला सहित आसपास की ओडिसा सीमावर्ती क्षेत्रों में आबकारी विभाग को अवैध मदिरा के परिवहन, निर्माण पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। इसी कड़ी में रायगढ़ एवं ओडिसा राज्यों के सीमावर्ती जिलों के आबकारी अमलों की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है और 4 हजार किलोग्राम महुआ लाहन एवं 255 लीटर अवैध मदिरा की जब्ती की गई है। सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के बेलरिया नाला के किनारे ओडिसा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज बेलपहाड़ के एक्साईज रेंज एवं स्टेशन इंचार्ज सर्किल इंस्पेक्टर विजय प्रकाश तिर्की एवं मोबाईल यूनिट झारसुगुड़ा के सर्किल इंस्पेक्टर क्षितिस दास, देवेन्द्र प्रहलाद तथा रायगढ़ जिले के आबकारी उप निरीक्षक हाबिल खलखो व आबकारी आरक्षक तुलेश्वर राठौर एवं लालसिंह द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही की गई जिसमें 20 ड्रमों और 60 बोरों में कुल 4 हजार किलो ग्राम फर्मेंटेड वाश (महुआ लाहन)और कुल 255 लीटर अवैध आसवित मदिरा जब्ती की गई है।

सभी प्रत्याशी के व्यय लेखा का द्वितीय जांच होगा 10 नवंबर को

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत विधानसभा सारंगढ़-17 और बिलाईगढ़-43 के सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखा का मिलान और प्रेक्षक के समक्ष द्वितीय जांच 10 नवंबर 2023 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सारंगढ़ में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने पत्र जारी कर कहा है कि सभी प्रत्याशी निर्धारित तिथि 10 नवंबर 2023 को द्वितीय जांच और 15 नवंबर 2023 को तृतीय जांच के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने मंडी परिसर में निर्वाचन कार्यों का किया निरीक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यों की व्यवस्था के संबंध में कृषि मंडी परिसर का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने इस दौरान निर्वाचन कार्यों की अद्यतन जानकारी ली एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था, मतदान सामग्री वापसी की व्यवस्था ,मतगणना स्थल तक पहुंच मार्ग, बिजली व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्शन, पेयजल सुविधा, शौचालय, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं विधानसभावार आगमन, निकासी तथा पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिये गये।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 : निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न 2051 पात्र मतदाताओं ने किया डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान

❒ होम वोटिंग के माध्यम से अब तक 199 मतदाताओं ने किया मतदान

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके तहत आज चारों विधान सभाओं से कुल 2051 ने मतदाताओं ने डाकमत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा से 409, क्रमांक 16-रायगढ़ से 572, क्रमांक 18-खरसिया से 545 एवं विधानसभा क्रमांक 19-धरमजयगढ़ से 525 मतदाता शामिल हुए। जिन्होंने शहर में बनाये गये सुविधा केन्द्र में पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान किया।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें सुरक्षा बलों के सदस्य, वाहन चालक, क्लीनर/हेल्पर्स बसों के कन्डक्टर, वीडियोग्राफर, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रोऑब्जर्वर, उडनदस्ता/स्थैतिक निगरानी दलों के सदस्य, वीडियो निगरानी दल के सदस्य, वीडियो अवलोकन दल के सदस्य, अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न कर्मचारी पोस्टल बैलेट हेतु 5083 मतदाता पात्र पाये गये हैं। डाक मतपत्र हेतु फार्म-12 में आवेदन करने वाले पात्र मतदाताओं को मतदान करने की सुविधा हेतु डिग्री कॉलेज रायगढ़, पीडी कामर्स कॉलेज रायगढ़, नटवर स्कूल रायगढ़, पॉलिटेक्निक कॉलेज रायगढ़ एवं कलेक्टोरेट के सृजन प्रथम तल में सुविधा केन्द्र बनाए गए है।

होम वोटिंग के माध्यम से अब तक 199 मतदाताओं ने किया मतदान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनके निवास स्थल पर मतदान करने हेतु प्रारूप 12घ में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई थी। जिसके तहत आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ में 21 तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19-धरमजयगढ़ में 11 मतदाताओं ने मतदान किया। इस प्रकार आज कुल 32 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा में 28, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ में 49, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18-खरसिया में 86 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19-धरमजयगढ़ में 36, इस प्रकार अब तक कुल 199 मतदाताओं द्वारा आज डाकमत पत्र के माध्यम से घर बैठे मतदान किया।

डाक मतपत्र अथवा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की अंतिम

तिथि 10 नवम्बर

निर्वाचन ड्यूटी पर संलग्न मतदाता की निर्वाचन ड्यूटी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लगने पर निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु फॉर्म 12क में आवेदन किया जा सकता है। अन्य विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी होने पर पोस्टल बैलट हेतु फॉर्म 12 में आवेदन करते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से प्रथम तल, सृजन सभाकक्ष, कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़ में जमा किया जा सकता है। जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2023 है।

11 नवम्बर तक किया जाएगा मतदान दलों का डाकमत पत्र से मतदान

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने डाक मत पत्र से किए जा रहे मतदान का अवलोकन किया। सारंगढ़ के कलेक्टोरेट कार्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय, शासकीय पंडित लोचन प्रसाद पांडेय महाविद्यालय में मतदान दलों में शामिल कर्मी का डाक मत पत्र से मतदान 09 नवम्बर से प्रारंभ किया गया है जो 11 नवम्बर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के मध्य किया जाएगा। सभी स्थानों में पुलिस बल, वीडियोग्राफी, निर्वाचन नियमों का पालन और गोपनीयता के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी उपस्थित थीं।

छत्तीसगढ़ एवं ओड़िसा के आबकारी अमलों की हुई अंतर्राज्यीय बैठक

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के मद्देनजर छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों के सीमावर्ती जिलों के आबकारी अमलों की आज समन्वयक बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। बैठक में उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता रायपुर अनिमेष नेताम, उपायुक्त नार्दन डिवीजन राजेन्द्र बोथरा और बिलासपुर उपायुक्त नोहर सिंह ठाकुर ने दोनों राज्यों के विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया। निर्वाचन अवधि में सीमावर्ती इलाकों की जांच चौकियों में दोनों राज्यों की ओर से सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इन सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थों के अवैध धारण, विक्रय और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि निर्वाचन तिथि को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त मदिरा दुकानों, बारों, देशी मदिरा के वेयर हाउस और विदेशी मदिरा गोदामों को बंद किया जाएगा। साथ ही साथ सीमावर्ती नार्दन

डिवीजन उड़ीसा में सम्मिलित जिला-झारसुगुड़ा की 3, बरगढ़ की 20, सुंदरगढ़ की 7 और नुआपाड़ा की 5 मदिरा दुकानें भी इस अवधि में बंद रहेगी। दीपावली पर्व के समीप होने के कारण इस हेतु अधिक चौकसी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़ और नुआपाड़ा जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारी सम्मिलित रहे।

26 हजार 720 मतदाताओं को मिलेगा नया ईपिक कार्ड

मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता मार्गदर्शिका एवं बीएलओ पर्ची का किया जा रहा वितरण

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्ची एवं मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया जा रहा है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में मतदाता मार्गदर्शिका और मतदाता सूचना स्लिप या बीएलओ पर्ची, बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से सभी मतदाताओं के घर में एक-एक प्रति वितरित किया जा रहा है। बीएलओ पर्ची में मतदान तिथि, मतदान समय, बीएलओ का मोबाइल नंबर अंकित किया गया है। मतदाता मार्गदर्शिका में निर्वाचन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है जो मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सहयोग करेगी।

नए/संशोधित मतदाताओं के ईपिक कार्ड का शुरू हुआ वितरण

नये मतदाताओं का एपिक कार्ड का वितरण पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले के चारों विधान सभा क्षेत्रों के कुल 26 हजार 720 ईपिक कार्ड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जिला निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त ईपिक कार्ड के वितरण हेतु एक सप्ताह पूर्व डाक विभाग को सौंपा जा चुका है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग द्वारा ईपिक कार्ड का वितरण किया जा रहा है। जिसमें विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा के 8172, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ के 5270, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया के 6240 तथा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-19 धरमजयगढ़ के 7038 ईपिक कार्ड शामिल है। इस प्रकार कुल 26 हजार 720 ईपिक कार्ड नये एवं संशोधित मतदाताओं को वितरित किया जा रहा है। जो ईपिक कार्ड किन्हीं कारणों से डाक विभाग के माध्यम से वितरित नहीं हो पाएंगे। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यदि किसी मतदाता को एपिक कार्ड नहीं प्राप्त हुआ हो तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें तथा टोल फ्री नंबर 1950 में कॉल कर सकते हैं।

मोबाइल चोर से 2.46 लाख रुपए के 19 नग चोरी की मोबाइल बरामद

❒ साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 08/11/2023 को रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास साइबर सेल और कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा गया। पुलिस टीम द्वारा संदेही से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अजय राय निवासी साहिबगंज (झारखंड) का मूल निवासी तथा वर्तमान में किरोड़ीमल नगर में किराया मकान लेकर रहना बताया जिसे क्षेत्र में चोरी की गतिविधियों में शामिल होने की मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उसने बीते 5 नवंबर के सुबह इतवारी बाजार रायगढ़ में एक व्यक्ति के जेब से रेडमी 10 मोबाइल की चोरी करना और उस मोबाइल में लगे 2 सिम कार्ड को फेंक कर

चोरी मोबाइल को अपने घर में छुपा कर रखना बताया। चोरी रेडमी 10 मोबाइल के संबंध में थाना कोतवाली में अप.क्र. 778/2023 धारा 379 आईपीसी दर्ज था। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम द्वारा संदेही के किराया मकान किरोड़ीमल नगर में संदेही को ले जाकर दबिश दिया गया। जहां चोरी की रेडमी 10 मोबाइल के अलावा 18 और विभिन्न कंपनियों के मोबाइल जिसमें वनप्लस, रेडमी, रियलमी, नारजो वन, सैमसंग, वीवो कंपनी के मोबाइल मिले। संदेही अजय राय से अन्य मोबाइल के संबंध में पूछताछ करने पर अजय राय गोल-गोल जवाब देने लगा। कोतवाली स्टाफ द्वारा अजय राय को नोटिस देकर मोबाइल के कागजात की मांग किया गया। अजय राय ने नये महंगे मोबाइलों का कागजात होना नहीं बताया। संदेही से बरामद रेडमी-10 मोबाइल को थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 778/2023 धारा 379 भादवि में जप्त किया गया तथा शेष 18 नग मोबाइल को धारा 102 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर जप्ती किया गया है। आरोपी से जप्त कुल 19 नग मोबाइल का बाजार मूल्य करीब 2 लाख 46,000 रुपए है। आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध होने की सूचना पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा, आरक्षक कोमल तिवारी तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, आरक्षक धनंजय कश्यप, महेश पंडा, प्रशांत पंडा, विक्रम सिंह, नवीन शुक्ला, सुरेश सिदार, प्रताप बेहरा, रविंद्र गुप्ता और नरेश रजक की अहम भूमिका रही है।

क्रेटा कार से 8 लाख कैश जब्त, वाहन चेकिंग दौरान कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाई

❒ जिला निवचिन कार्यालय को दी गई संदिग्ध रकम जब्ती की सूचना

रायगढ़। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व भयमुक्त कराने की दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर एसएसटी/एफएसटी टीम के साथ थानों का पुलिस बल निर्वाचन व्यय, संदिग्ध रकम तथा चुनाव प्रभावित वस्तुओं की आवाजाही पर निगाह रखे हुए है। इसी क्रम में दिनांक 09.11.2023 के दोपहर वाहन चेकिंग दौरान ढिमरापुर चौक पर कोतवाली पुलिस द्वारा एक सफेद रंग की हुंडई क्रेटा कार अदंर रखा लाल रंग के बैग में रु.500-रु.500 के 16 बंडल कुल 8 लाख रुपए नकद रखा पाया गया। वाहन में उपस्थित ओम प्रकाश गुप्ता पिता आलोक गुप्ता उम्र 32 साल निवासी केसला थाना जूटमिल से बैग में रखे रकम के संबंध में पूछताछ कर विधिवत नोटिस देकर नोटिस का अनुकूल जवाब प्राप्त नहीं होने पर अनावेदक ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करना पाये जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध रकम की धारा 102 सीआरपीसी के तहत जप्ती की कार्रवाई कर जिला निर्वाचन कार्यालय को कार्यवाही से अवगत कराया गया है।

संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, प्रधान आरक्षक हेमंत पात्रे, दिलीप भानु, आरक्षक कोमल तिवारी की अहम भूमिका रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब, जुआ सट्टा तथा चुनाव प्रभावित सामग्रियों की आवाजाही पर निगाह रखकर कार्यवाही किया जा रहा है।

ग्राम चाल्हा जंगल में 4 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

❒ कापू पुलिस की कार्यवाही

रायगढ़। कापू और पत्थलगांव पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर ग्राम कदमढोढी में 10 चोरी की बाइक के साथ एक शातिर बाइक चोर को पकड़ा गया था। आज कापू पुलिस द्वारा गांजा रेड की कार्यवाही कर क्षेत्र में लुक-छिप कर गांजा बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक आज दिनांक 09/11/2023 को थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम थाना क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के भ्रमण पर ग्राम जमरगा, चाल्हा की ओर रवाना हुए थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति छुही पहाड़ से पैदल ग्राम चाल्हा की ओर प्लास्टिक बोरी में गांजा लेकर अवैध रूप से बिक्री के लिए लेकर आ रहा है। थाना प्रभारी कापू द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर अपने हमराह स्टाफ के साथ तत्काल ग्राम चाल्हा जंगल पर घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा गया। पूछताछ में संदेही अपना नाम बीरू राम कोरवा पिता स्वर्गीय लिट्टी राम कोरवा उम्र 55 साल निवासी छुही पहाड़ थाना कापू जिला रायगढ़ का बताया जिसे नारकोटिक्स कार्यवाही के संबंध में जानकारी देकर उसके तथा उसके कब्जे में रखे प्लास्टिक बोरी का विधिवत तलाशी लिया गया। संदेही के पास रखे प्लास्टिक बोरी के अंदर 4 किलो मादक पदार्थ गंज कीमत रु.32,000 का पाया गया जिसके संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी बीरू राम कोरवा गांजा को अवैध बिक्री के लिए लाना बताया। आरोपी बीरू राम कोरवा के कृत्य पर थाना कापू में 20(B) NDPS Act के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजो गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर गांजा रेड कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी कापू नारायण सिंह मरकाम, प्रधान आरक्षक साधुराम भारद्वाज, आरक्षक जुगीत राठिया, विभूति सिंह और हरीश पटेल की अहम भूमिका रही है।

साइबर सेल व तमनार पुलिस ने स्कूटी पर शराब तस्करी कर रहे आरोपी को किया गिरफ्तार

❒ आरोपी से ओड़िसा में बेची जाने वाली अंग्रेजी शराब की 4 बॉटल, 6 हॉफ और 49 क्वाटर के साथ 6 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर विभिन्न चेक पॉइंट पर एसएसटी टीम के साथ थाना एवं साइबर सेल की टीम द्वारा वाहनों की जांच में सहयोग किया जा रहा है। इसी दरमियान कल दिनांक 08/11/2023 के शाम पालीघाट चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान साइबर सेल स्टाफ को सूचना मिली कि एक व्यक्ति उड़ीसा की ओर से स्कूटी पर अवैध बिक्री के लिए भारी मात्रा में उड़ीसा में बेची जाने वाली अंग्रेजी शराब और महुआ शराब लेकर आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को साझा की गई मुखबीर सूचना पर तत्काल तमनार पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा हमीरपुर यात्री प्रतीक्षालय के पास वाहनों की जांच में लग गए। इस दौरान प्लेजर स्कूटी CG 13 J 0383 में आ रहे संदिग्ध युवक को रोक कर पूछताछ किया गया जिसे अपना नाम रोहित निषाद पिता हरिश चंद निषाद उम्र 26 साल निवासी बाजार पारा तमनार जिला रायगढ़ का बताया जिसके स्कूटी के पैरदानी के पास रख दो प्लास्टिक के थैले में अंदर विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी ब्रांड के शराब और एक-एक लीटर क्षमता वाली पानी बोतल रखा हुआ महुआ शराब मिला। युवक रोहित निषाद से शराब परिवहन के संबंध में पूछताछ कर विधिवत रोहित निषाद को नोटिस देकर अवैध बिक्री के लिए ले जा रहे उड़ीसा राज्य में विक्रय वाली अंग्रेजी शराब- ऑफिसर्स चॉइस, ब्लेंडर प्राइड, रॉयल स्टेज इत्यादि की 4 बोतल, 8 अद्धी, 49 पाव और 1-1 लीटर वाली 6 प्लास्टिक बॉटल में भरा महुआ शराब अनुमानित 29 हजार रूपये की अवैध शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त प्लेजर स्कूटी CG 13 J 0383 को जप्त किया गया। आरोपी रोहित निषाद पर थाना तमनार में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाई किया गया है। निरीक्षक थाना प्रभारी तमनार आशीर्वाद राहटगांव के नेतृत्व में शराब रेड कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल, सुरूति लाल सिदार, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, महेश पंडा, प्रशांत पंडा, सुरेश सिदार और नरेश रजक की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480